न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः223/2021/223 आर.टी.एक्ट (2021/223)

1. कौशल्या देवी पुत्री स्व0 श्री मंगल जाति धोबी आयु 51 वर्ष,
2. गणेशी देवी पुत्री स्व0 श्री मंगल जाति धोबी आयु 41 वर्ष,
3. बसंती देवी पुत्री स्व0 श्री मंगल जाति धोबी आयु 31 वर्ष,
4. सोनू देवी पुत्री स्व0 श्री मंगल जाति धोबी आयु 27 वर्ष,

सर्वनिवासी—ग्राम भामोलाव, तहसील अराई जिला अजमेर, राजस्थान

अपीलांट्स

बनाम

1. बद्री पुत्र श्री बोदू जाति धोबी आयु 51 वर्ष, निवासी भामोलाव तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान।
2. कोयल्या देवी पत्नी स्व0 ग्यारसा।
3. सांवरा पुत्र स्व0 श्री ग्यारसा।
4. सुमेर पुत्र स्व0 श्री ग्यारसा।
5. रामप्रसाद पुत्र स्व0 ग्यारसा।

   क्रम संख्या 2 लगायत 5 सर्व जाति धोबी, सर्व निवासी—ग्राम भामोलाव तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान।
6. रामेश्वरी पुत्री स्व0 ग्यारसी पत्नी श्री रमेश धोबी निवासिन—प्लाट नम्बर ए—17 श्याम बिहार अवधपुरी के पास, गिरधारीपुरा के पीछे, थाना करणीबिहार पोस्ट वैश्यालीनगर, जयपुर
7. सुरज्ञान पुत्री स्व0 ग्यारसा पत्नी महावीर धोबी, जाति धोबी, निवासिन—प्लाट नम्बर 94 विकास नगर ब्लॉक गैस गोदाम के पास, थाना करणीबिहार पोस्ट वैश्यालीनगर जयपुर
8. नेराज पुत्री स्व0 ग्यारसा पत्नी कजोड धोबी जाति धोबी निवासिन—धोबियों का मौहल्ला नगर तहसील मालपुरा, जिला टोंक थाना पचेवर प्लाट नम्बर 94, विकास नगर ब्लॉक गैस गोदाम के पास थाना करणीबिहार पोस्ट वैश्यालीनगर जयपुर
9. सीमा पुत्री स्व0 ग्यारसा पत्नी श्री गंगाराम धोबी, जाति धोबी निवासिन—धोबियों का मौहल्ला, मुण्डोलाव, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान

रेस्पोडेन्ट्स

10. श्रीमती उमराव देवी पत्नी स्व0 श्री मंगल जाति धोबी
11. तेजू पुत्र स्व0 श्री मंगल जाति धोबी
12. कैलाश पुत्र स्व0 श्री मंगल जाति धोबी
13. महेन्द्र पुत्र स्व0 श्री मंगल जाति धोबी

    क्रम संख्या 10 से 13 सर्व निवासी—ग्राम भामोलाव, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान।

परफोर्मा रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 12.10.2012 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ जिला अजमेर राजस्व वाद संख्या 102/2010

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

उपस्थितः–

1. श्री इंद्रेश रामचंदानी, अभिभाषक अपीलांटस.
2. श्री विकास पराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 06 से 08.
3. रेस्पोडेंट संख्या 1, 2 से 5 व 9 से 13 अनुपस्थित.

निर्णय

दिनांकः–13.11.2024

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 102/2010 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.10.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण मंगल पुत्र रामकरण की पुत्रियां है तथा मंगल पुत्र रामकरण के अधिकार, खातेदारी की ग्राम भामोलाव में खसरा संख्या 774 रकबा 16 बीघा थी, जिसमें अपीलार्थी के पिता हिस्से 1/2 के सह खातेदार काबिज काश्तकार थे। प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी संख्या 1 लगायत 4 अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे, किंतु अपीलार्थी उपरोक्त मंगल पुत्र रामकरण की पुत्रियां होकर, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों अनुसार विधिक उत्तराधिकारी है एवं मंगल पुत्र रामकरण की संपत्ति में अपीलार्थीगण का हित, अधिकार रहता है। इस कारण यह अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.10.2012 को एक पक्षीय रूप से प्राप्त प्रलेख के आधार पर डिक्री के विरूद्ध धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अधीन पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रस्तुत की जा रही है। प्रस्तुत अपील में अपीलार्थीगण मंगल पुत्र रामकरण की पुत्रियां है एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 मूल वाद में वादी संख्या 1 था एवं प्रस्तुत अपील में प्रत्यर्थी संख्या 2 लगायत 9 के पूर्वाधिकारी ग्यारसा पुत्र रामकरण वादी संख्या 2 के रूप में प्रतिस्थापित थे एवं प्रस्तुत अपील में परफोर्मा प्रत्यर्थी संख्या 10 लगायत 13 मूल वाद में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 थे। ग्यारसा पुत्र रामकरण का दिनांक 11.12.2020 को देहावसान हो चुका है। इस कारण से उनके विधिक वारिसान को पक्षकार बनाया गया है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं उपरोक्त ग्यारसा पुत्र रामकरण ने वाद इस आशय का प्रस्तुत किया था कि ग्राम भामोलाव की खसरा संख्या 774 रकबा 16 बीघा के वादीगण बहिस्सा बराबर–बराबर के सह खातेदार है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा करते है। उपरोक्त भूमि के बाबत परफोर्मा प्रत्यर्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। वाद मूलतः धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया था। परफोर्मा प्रत्यर्थी संख्या 10 लगायत 13 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया था कि, खसरा संख्या 774 रकबा 16 बीघा में हिस्से 1/2 के खातेदार ग्यारसा पुत्र रामकरण थे एवं 1/2 हिस्से के खातेदार परफोर्मा प्रत्यर्थी संख्या 10 लगायत 13 एवं अपीलार्थीगण के पूर्वाधिकारी उपरोक्त मंगल पुत्र रामकरण थे। वादीगण ने मंगल पुत्र रामकरण के स्थान पर किसी निरूपित व्यक्ति प्रस्तुत कर फर्जी रूप से दिनांक 03.04.1989 का विक्रय पत्र निष्पादित करवाया गया है। अपीलार्थीगण के पूर्वाधिकारी उपरोक्त मंगल पुत्र रामकरण ने उपरोक्त भूमि कभी भी अपने जीवनकाल में किसी को बेचान नहीं की एवं परफोर्मा प्रत्यर्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से यह भी कथन किए थे कि अपीलार्थीगण के पूर्वाधिकारी के नाम से निष्पादित विक्रय विलेख फर्जी कूटरचित है जिसके बाबत अपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है तथा मौके पर उपरोक्त भूमि मंगल के विधिक वारिसान के कब्जे की है। उपरोक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.04.2012 को बद्री पुत्र बोदू के एक पक्षीय बयान लिए एवं दिनांक 03.05.2012 को ग्यारसा पुत्र रामकरण के एक पक्षीय बयान लिए एवं दिनांक 03.05.2012 को कल्याण पुत्र काना के एकपक्षीय बयान लेखबद्ध कर परफोर्मा प्रत्यर्थीगण की एकपक्षीय कार्यवाही के रहते हुए उनके बयान लेखबद्ध नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

कर दिनांक 12.10.2012 को एकपक्षीय रूप से डिक्री पारित कर दी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 102/2010 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.10.2012 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 1, 2 से 5 व 9 से 13 अनुपस्थित बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 पर निवेदन किया कि ग्यारसा पुत्र रामकरण (प्रत्यर्थी संख्या 2 लगायत 9 के पूर्वाधिकारी) ने प्रार्थीगण के पिता के हिस्से की उपरोक्त भूमि में निहित संपूर्ण हिस्सा 1/2 अर्थात 8 बीघा भूमि का बैचान दिनांक 3.4.1989 के विक्रय विलेख से बद्री पुत्र बोदू (प्रत्यर्थी संख्या 1) को कर दिया। उपरोक्त दिनांक 3.4.1989 के विक्रय विलेख पर प्रार्थीगण के पिता के अंगुष्ठ निशानी नहीं होने बाबत विधि विज्ञान प्रयोगशाला से होकर अपराधिक प्रकरण अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 419, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता में आकर, प्रत्यर्थी संख्या 1 बद्री एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 से 9 का जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर केन्द्रीय कारागृह भिजवाया जा चुका है। प्रार्थीगण के पिता मंगल पुत्र रामकरण का देहवसान हो चुका है प्रार्थीगण के पिता द्वारा उपरोक्त भूमि बेचान नहीं किए जाने के कारण एवं उनकी मृत्यु होने से प्रार्थीगण अपने पिता की उपरोक्त वर्णित भूमि में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिस होकर उपरोक्त भूमि में स्वत्व, हित रखती है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व प्रत्यर्थी संख्या 2 से 9 के पूर्वाधिकारी ग्यारसा पुत्र रामकरण ने दिनांक 3.4.1989 के विक्रय के आधार पर दर्ज राजस्व प्रविष्टि की आधारित कर प्रार्थीगण को पक्षकार बनाए बिना अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कपटपूर्ण कथन कर कपटपूर्ण कूटरचित दस्तावेज के आधार पर दर्ज राजस्व प्रविष्टि को आधारित कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपरोक्त वाद संस्थित कर प्रार्थीगण की विधि अनुसार उत्तराधिकार से अर्जित भूमि के बाबत एकपक्षीय रूप से दिनांक 12.10.2012 को स्थाई निषेधाज्ञा की निर्णय/डिक्री प्राप्त की है। जिसमें प्रार्थीगण के अधिकार प्रमाणित होने के साथ–साथ अप्रार्थी के अधिकार प्रमाणित होने के साथ अप्रार्थी संख्या 1 से 9 प्रार्थीगण के काश्त कार्यो में बाधा करते है। इस कारण प्रार्थीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि प्रार्थीगण न्यायालय से अपील संस्थन की अनुज्ञा प्राप्त कर अपील संस्थित करे। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर प्रार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किए जाने के आदेश प्रदान करावे।

5. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण ने दिनांक 3.4.1989 का फर्जी कूटरचित विक्रय विलेख प्रस्तुत कर एकपक्षीय निर्णय डिक्री प्राप्त की है। जबकि दिनांक 3.4.1989 का विक्रय विलेख प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण के पूर्वाधिकारी द्वारा निष्पादित ही नहीं है बल्कि मूल वाद के वादीगण ने आपस में सांठ गांठ रचकर उक्त सांठ गांठ में अन्य साक्ष्य को संयुक्त कर उपरोक्त प्रलेख तैयार किया है एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 लगायत 9 के पूर्वाधिकारी ग्यारसा पुत्र रामकरण को दिनांक 3.4.1989 का प्रलेख कूटरचित कपटपूर्ण होने के कारण अपराधिक प्रकरण जो आजीवन कारावास के मृत्यु दण्ड से दण्डनीय श्रेणी का है, में जेल भी भिजवाया गया है। कोई भी निर्णय जो कपट की नींव पर खड़ा नही रह सकता हैं एवं यदि कपटपूर्ण निर्णय को प्रक्रियात्मक पहलू से प्रभावी किया गया तो सारभूत, न्याय निर्णय, सुनवाई अधिकार से प्रार्थीगण/ अपीलार्थीगण वंचित हो जायेंगे । हस्तगत अपील में अन्तरविष्ट बिन्दू जो दस्तावेजी साक्ष्य से ही प्रमाणित हैं से तो प्रथम दृष्टयां ही उपरोक्त अधीन्नस्थ न्यायालय के समक्ष प्राप्त निर्णय न्यायालय से ही छदम व कपटपूर्ण पूर्वक कार्यवाही कर कपटपूर्ण, कूटरचित प्रलेख को सही बताकर प्राप्त किया जाना एवं न्यायालय से ही धोखा किया जाना प्रमाणित है । जब न्यायालय के साथ दस्तावेजी परिपेक्ष में कूटरचित प्रलेख से निर्णय व डिकी प्राप्त कर प्रतिपक्ष लाभान्वित हो रहा हैं तो ऐसी स्थिति में उपरोक्त पहलू स्वतः गम्भीर श्रेणी का होकर, न्यायालय द्वारा ही स्वप्रेरणा से संज्ञान लिये जाने

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

योग्य है । यह पहलू कई विधिक दृष्टान्तों में सुस्थापित रूप से सुदृढ न्याय सिद्धान्त के रूप में प्रतिपादित किया गया है कि जब अपीलार्थीगण के पूर्वाधिकारी के विक्रय विलेख दिनांक 03.04.1989 पर अंगुष्ठ निशानी नही हैं इस बाबत् एफएसएल की रिपोर्ट भी आ चुकी हैं एवं प्रतिपक्षी आजीवन कारावास के दण्डनीय अपराध में जमानत के स्तर पर जैल में भी गये हैं ऐसी स्थिति में विलम्ब को क्षम्य किये जाने के लिये पूर्णतः सदभाविक आधार बनता है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अपीलार्थीगण उपरोक्त मंगल पुत्र रामकरण की पुत्रियां होकर हिन्दू उत्तराधिका अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिस, उत्तराधिकारी है तथा उपरोक्त प्रत्यर्थी संख्या 2 लगायत 9 के पूर्वाधिकारी ग्यारसा पुत्र रामकरण को यह पहलू भली भांति संज्ञान में था। इसके बावजूद भी अपीलार्थीगण को बिना पक्षकार बनाए उपरोक्त एक पक्षीय निर्णय डिक्री प्राप्त की है। यह पहलू अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान स्पष्टतः प्रकट किया गया था कि दिनांक 3.4.1989 के विक्रय विलेख पर अपीलार्थीगण के पूर्वाधिकारी उपरोक्त मंगल पुत्र रामकरण के हस्ताक्षर नहीं है। वह फर्जी कूटरचित रूप से तैयार किया गया है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस पहलू पर विचारण नही किया है यह पहलू विधि से सुस्थापित है कि यदि किसी कपटपूर्ण फर्जी दस्तावेज के आधार पर न्यायालय से कोई अनुतोष प्राप्त भी किया जाता है तो वह विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग होकर न्यायालय के साथ ही अपने आप में कपटपूर्ण कार्यवाही मानी जाती है। उपरोक्त दिनांक 3.4.1989 के निष्पादित विक्रय विलेख पर अपीलार्थीगण के पूर्वाधिकारी मंगल पुत्र रामकरण के द्वारा निष्पादित नहीं थी। वह फर्जी रूप से छदम व्यक्ति के अंगुष्ठ निशानी से तैयार की गई थी। इसके बाबत पंजीबद्ध अपराधिक प्रकरण अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 419, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दर्ज प्रकरण में अपीलार्थीगण के पूर्वाधिकारी के अंगुष्ठ निशानी की विधि विज्ञान प्रयोगशाला से मिलान करवाए जाने पर प्रत्यर्थी संख्या 2 लगायत 9 के पूर्वाधिकारी ग्यारसा पुत्र रामकरण द्वारा अपीलार्थीगण के पूर्वाधिकारी मंगल पुत्र रामकरण के अंगुष्ठ निशानी कर फर्जी रजिस्ट्री करवाए जाने बाबत स्पष्ट रिपोर्ट आने पर उपरोक्त दिनांक 3.4.1989 का विक्रय विलेख अपीलार्थीगण के पूर्वाधिकारी द्वारा निष्पादित नहीं होने के कारण पुलिस थाना अराई द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 बद्री एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 लगायत 9 के पूर्वाधिकारी ग्यारसा एवं विक्रय विलेख के गवाह घीसालाल पुत्र रामकरण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 419, 471 व 120 बी के अधीन न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजि0 किशनगढ के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया तथा न्यायालय ने उपरोक्त गंभीर श्रेणी के आजीवन कारावास के दण्डनीय अपराध के रहते हुए अभियुक्त ग्यारसा व घीसालाल को दिनांक 4.6.2018 को केन्द्रीय कारावास में भिजवाया तथा न्यायालय ने जमानत के समय उक्त बाबत यह टिप्पणी की कि दिनों–दिन बढती धोखाधडी के अपराध की घटनाओं और अपराध के गम्भीरता के मध्यनजर जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। इस प्रकार योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने मूलतः दिनांक 3.4.1989 के विक्रय विलेख को ही यथार्त मानते हुए उपरोक्त दिनांक 12.10.2012 को निर्णय व डिक्री पारित किया है। न्यायालय किसी भी प्रक्रियात्मक पहलू को सरलता से लागू कर सकती है किंतु यदि न्यायालय के समक्ष कोई मिथ्या पूर्वक कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर न्यायालय से कोई भी अनुतोष प्राप्त किया जाता है तो वह कभी भी अंतिम व पूर्ण नहीं होता है। यह पहलू न केवल विचारणीय न्यायालय अपितु हर न्यायालय के समक्ष गंभीरता से दृष्टिगत किया जाता है न्याय प्रक्रिया को कपट से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस परिपेक्ष में दिनांक 3.4.1989 का जो विक्रय विलेख है वह अपीलार्थीगण के पूर्वाधिकारी द्वारा निष्पादित ही नहीं है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वारा उपरोक्त कपटपूर्ण कूटरचित दस्तावेज को पूर्ण सही बताकर दिनांक 12.10.2012 की एकपक्षीय रूप से डिक्री प्राप्त की है। यदि इस डिक्री को यथावत रखा जाता है तो

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

एक प्रकार से न्यायालय के समक्ष अविधिक कार्य करने वालों को प्रोत्साहन व बढावा देने जैसी स्थिति रहती है। जिससे संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया ही पूर्णत धराशायी हो जाएगी। अतः इस परिपेक्ष में भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री हर प्रकियात्मक पहलूओं से परे होकर अपास्त किए जाने योग्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद्यक संख्या 1, 2 का अवधारण केवलमात्र इस पहलू पर किया है कि जमाबंदी में खसरा संख्या 774 वादीगण के नाम दर्ज है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपरोक्त आदेश पारित किए जाते समय यह पहलू नहीं था कि उपरोक्त खसरा संख्या 774 में अपीलार्थीगण के पूर्वाधिकारी मंगल पुत्र रामकरण के दिनांक 3.4.1989 के कूटरचित विक्रय विलेख के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ने स्वयं का नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया है। इस परिपेक्ष में भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या 1 व 2 का अवधारण विधि संगत रूप से नहीं किया है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 102/2010 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.10.2012 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

7. विद्वान राजकीय अभिभाषक उक्त प्रकरण में फोर्मल पक्षकार है। अतः हाजा न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में किए गए निर्णय से उन्हें को आपत्ति नहीं है।

हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 पर किए गए कथन सद्भाविक प्रतीत होते है। अतः अपीलांट व्यथित व हितबद्ध पक्षकार होने से व अपीलांट द्वारा किए गए कथन संतोषप्रद व उचित होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 96 जा0दी0 को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर उक्त प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के निर्णय दिनांक 12.10.2012 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

10. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधि. में किए गए कथन सदभाविक प्रतीत होते हैं, ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सद्भाविक होने से ऐसी स्थिति में उपरोक्त कारणों से अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार कि जाती हैं।

11. हमने अभिभाषक अपीलांटस की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का मुख्य कथन है कि दिनांक 03.04.1989 के विक्रय विलेख पर अपीलार्थीगण के पूर्वाधिकारी उपरोक्त स्व0 मंगल पुत्र रामकरण के हस्ताक्षर नहीं है वह फर्जी, कूटरचित रूप से तैयार किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध प्रलेखीय साक्ष्य पंजीबद्ध विक्रय–पत्र दिनांक 03.04.1989 के अवलोकन से जाहिर होता है कि विवादित आराजियात स्व0 मंगल जाति धोबी द्वारा प्रतिफल लेकर विक्रय की गई थी। प्रकरण में उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त आराजी स्व0 मंगल द्वारा वर्ष 1989 में विक्रय की गई थी। इस सम्बन्ध में हमारा मत है कि अपीलार्थी वादी द्वारा इतनी लंबी अवधी तक उक्त विक्रय पत्र को किसी भी सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाने की कार्यवाही की गई हो, ऐसा कोई दस्तावेजी प्रमाण पत्रावली उपलब्ध नहीं है, ना ही रजिस्ट्री निरस्तीकरण संबंधी कोई दावा पेंडिग है, क्योंकि अपीलार्थी वादीगण का कथन है कि वर्तमान रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कुटरचित, फर्जी विक्रय पत्र दिनांक 03.04.1989 का दस्तावेज पेश किया गया है। अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अथवा

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे प्रकट होता हो कि उक्त वर्णित पंजीकृत विक्रय–पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया हो, जिससे स्पष्ट है कि उक्त वर्णित पंजीकृत विक्रय–पत्र आज भी प्रभाव एवं प्रवर्तन में है। पुत्र/पुत्री के द्वारा अपने पिता के जीवनकाल में किए गए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को किसी भी प्रकार से प्रभावहीन नही समझा जा सकता है चूंकि वादग्रस्त आराजीयात तात्कालीन खातेदार/काश्तकार से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र द्वारा क्रय की गई है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 (7) के अनुसार विक्रेता समस्त काश्तकारी अधिकारों का अवसान होकर क्रेता में निहित हो चुके थे। वादी–वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी प्रदर्श–1 के अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 774 रकबा 16 बीघा भूमि बद्री पुत्र बोदू हिस्सा 1/2 एवं ग्यारसा पुत्र रामकरण हिस्सा 1/2 कौम धोबी साकिन देह खातेदार दर्ज है तथा वादग्रस्त भूमि पर प्रस्तुत खसरा गिरदावरी के अनुसार भी बाजरा, ज्वार व मूंग, सरसो आदि की फसल खसरा गिरदावरी प्रदर्श–2, प्रदर्श–4, प्रदर्श–5, प्रदर्श–6 खसरा गिरदावरी संवत 2064 से 2067, खसरा गिरदावरी 2048 से 2051, 2052–2055 व 2056–2059 में वादी वर्तमान रेस्पोडेंन्ट संख्या 01 काबिज काश्त दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा सभी दस्तावेजात का अवलोकन कर दस्तावेजात का हवाला देते प्रत्येक तनकी को विस्तृत रूप से निर्णित किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.10.2012 को तनकीवार निर्णय पारित किया जिसमें उनके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजात एवं विधिक बिंदुओं का अवलोकन करते हुए पारित किया गया था जिसमें हस्तक्षेप किया जाना हाजा न्यायालय को उचित प्रतीत नहीं होने से अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर खारिज योग्य है।

12. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 102/2010 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.10.2012 को यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

13. निर्णय आज दिनांक 13.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

13/11/2024

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner